



Neutral Citation No. - 2026:AHC:12277

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1750 वर्ष 2025

जाहर सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अशोक कुमार मिश्रा, सुनील कुमार, यतीश कुमार द्विवेदी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. सूची पुनरीक्षित कर दी गई है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार मिश्रा और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री दीपक कुमार सिंह की दलीलें सुनी गईं और रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 34 के तहत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 684/2021 में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत की मांग कर रहा है। पीएचडी के तहत मामला कोटवाली ओराई, जिला जालौन है। मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने के दौरान जमानत मांगी गई है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के पास उक्त अपराध करने का कोई मकसद नहीं है, इसलिए यह झूठे फंसाए जाने का स्पष्ट मामला है। एफआईआर दर्ज करने में लगभग छह दिन की देरी हुई है और इस देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक 25.10.2021 से जेल में बंद है, इसलिए उसकी कैद की अवधि लगभग चार साल और तीन महीने है। निकट भविष्य में मुकदमे के निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मुकदमा बहुत धीमी गति से चल रहा है और अब तक केवल तीन गवाहों की जांच की गई है। इस प्रकार, आवेदक के मौलिक अधिकार, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित हैं, का उल्लंघन हुआ है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि अन्य प्रमुख गवाह हिमांशु की जांच नहीं की गई है और उसे इसलिए हिरासत में रखा गया है क्योंकि वह आवेदक के नियंत्रण में बताया जा रहा है जबकि आवेदक पिछले चार साल और तीन महीने से जेल में है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है इस आधार पर कि यह एक स्पष्ट मामला है और मृतक के बेटे ने आवेदक के खिलाफ गवाही दी है, जिसकी जांच पीडब्ल्यू-2 के रूप में मुकदमे के दौरान की गई है। इस प्रकार, आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।

8. इस न्यायालय ने संबंधित अवर न्यायालय से मुकदमे की स्थिति की जानकारी मांगी थी। दिनांक 8.12.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, दो प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की जांच की जा चुकी है और औपचारिक गवाह पीडब्ल्यू-3 की भी जांच की जा चुकी है।

9. **जावेद गुलाम नबी शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 2024 आईएनएससी 645** मामले में आरोपी को जमानत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है: यह टिप्पणी की गई है:

7. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अध्ययन करने के बाद, हम निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करने के इच्छुक हैं:

(i) अपीलकर्ता पिछले चार वर्षों से विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में है;

(ii) आज तक, अवर न्यायालय आरोप तय करने की कार्यवाही भी नहीं कर पाई है; और

(iii) जैसा कि राज्य और एनआईए दोनों के लिए उपस्थित अधिवक्ताओं ने बताया है, अभियोजन पक्ष कम से कम अस्सी गवाहों से पूछताछ करने का इरादा रखता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, हमें आश्चर्य है कि अंततः मुकदमा कितने समय में समाप्त होगा। अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, आरोपी को भारत के संविधान के तहत शीघ्र सुनवाई का अधिकार है।

9. समय के साथ, निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों ने कानून के एक सुस्थापित सिद्धांत को भुला दिया है कि जमानत को दंड के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए।

10. उपरोक्त संदर्भ में, हम निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों को याद दिलाना चाहेंगे कि इस न्यायालय ने गुडिकंती नरसिम्हलु और अन्य बनाम लोक अभियोजक, उच्च न्यायालय, (1978)

1 एससीसी 240 में क्या टिप्पणी की थी। हम उद्धृत करते हैं:

"अक्सर जो बात भुला दी जाती है, और इसलिए जिसकी याद दिलाना आवश्यक है, वह है किसी व्यक्ति को मुकदमे या अपील के निस्तारण तक न्यायिक हिरासत में रखने का उद्देश्य। लॉर्ड रसेल, मुख्य न्यायाधीश, ने कहा [आर बनाम रोज, (1898) 18 कॉक्स]:

मैं देखता हूँ कि इस मामले में कैदी की जमानत नामंजूर कर दी गई। देश के न्यायपालिका को यह बात अत्यंत दृढ़ता से समझानी आवश्यक है कि जमानत रोकना दंड के रूप में नहीं है, बल्कि जमानत संबंधी शर्तें केवल मुकदमे में कैदी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए हैं।

10. इसी सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने गुरबख्श सिंह सिब्बा बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 565; हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (1980) 1 एससीसी 81; कादरा पहाड़िया और अन्य बनाम बिहार राज्य (1981) 3 एससीसी 671 और अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आर.एस. नायक (1992) 1 एससीसी 225; मोहम्मद मुस्लिम उर्फ हुसैन बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) 2023 आईएनएससी 311; एक दोषी कैदी बनाम राज्य 1993 क्रिमिनल अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लॉ जर्नल 3242; भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713 में दोहराया था। इंद्राणी प्रतिम मुखर्जी बनाम सीबीआई, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 695।

11. **वी. सेंथिल बालाजी बनाम उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय 2024 आईएनएससी 739** के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, आरोपी को 15 महीने से अधिक समय तक कारावास में रखा गया था, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "मुकदमे के निष्कर्ष में अत्यधिक देरी और जमानत देने के लिए उच्च सीमा एक साथ नहीं हो सकती।"

12. **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में, जिसका उल्लेख (2022) 10 एससीसी 51** में किया गया है, लंबी कैद और अत्यधिक देरी ने न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जिसने जमानत के संबंध में सही दृष्टिकोण पर विचार किया, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 सहित कई अधिनियमों को ध्यान में रखा गया।

13. सर्वोच्च न्यायालय ने **एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 10455-10456/2025 रामनाथ मिश्रा @ रामनाथ मिश्रा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** के मामले में अपने नवीनतम फैसले में दोहराया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दों को न्यायालयों द्वारा अत्यंत शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए। आरोपी को पहले ही इस मामले और संबंधित मामलों में साढ़े तीन साल से अधिक समय से कारावास में रखा जा चुका था। उच्च न्यायालय द्वारा उसकी अर्जी पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी के कारण आरोपी को जमानत पर रिहा करते समय लंबी पूर्व-परीक्षण कारावास अवधि को भी ध्यान में रखा गया, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में शीघ्र निर्णय लेने पर जोर दिया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक काफी समय से जेल में बंद है और निकट भविष्य में मुकदमे के निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है क्योंकि अब तक केवल तीन गवाहों की ही जांच की गई है, साथ ही एफआईआर लगभग छह दिन विलंबित है, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध किया है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

15. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक- **जाहर सिंह** को व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, प्रत्येक जमानती संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि का हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

- (i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
- (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

16. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

19 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।